



मुख्यालय/Headquarters

कर्मचारी राज्य बीमा निगम /Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग/Panchdweep Bhawan, CIG Marg
नई दिल्ली/New Delhi - 110002

वेब साईट/Website : www.esic.nic.in

ई-मेल/E-mail : dir-pnd@esic.nic.in

दूरभाष/Telephone - 011 23232373



स. एक्स-11/14/1/2019- योववि

दिनांक : 03.11.2020

परिपत्र
Circular

विषय :- क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 B को निरस्त करने हेतु ।

Sub: Omission of Rule 51 B of ESI (Central) Rules, 1950


उपरोक्त विषय पर अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 27.10.2020 को अधिसूचना सं. सा.का.नि 675(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया है, की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है ।

क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51B का लोप किया गया है जो कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

Enclosed herewith is a copy of the notification published in the Gazette of India dated 27.10.2020 vide GSR 675(E), for information.

Rule 51 B of ESI (Central) Rule, 1950 has been omitted and shall be effective from the date of its publication.

संलग्न – यथोपरि


(पी आर सिन्हा)
उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय / विभागीय कार्यालय, को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें ।